आरक्षित निर्णय

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

माननीय न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र मैठानी

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

<u>आपराधिक जेल अपील संख्या 27 सन् 2015</u>

के मध्य में

सूरज पाल ...अपीलकर्ता

तथा

उत्तराखण्ड राज्य ...उत्तरदाता

अपीलकर्ता के अधिवक्ताः— श्री डी0एन0 शर्मा, (न्यायमित्र) एमिकस क्यूरी।

राज्य के लिए अधिवक्ताः— श्री वी0के0 जेमिनी, विद्वान उप महाधिवक्ता
सुश्री मीना बिष्ट, राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ धारक।

आरक्षित करने की तिथिः— 28.04.2022

निर्णय की तिथिः— 13.07.2022

न्यायालय ने निम्नलिखित कियाः—

निर्णयः— (माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा)

यह क्रिमिनल जेल अपील न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO उधम सिंह नगर द्वारा 2014 के विशेष सत्र परीक्षण संख्या 08 राज्य बनाम सूरज पाल में पारित निर्णय दिनांकित 07.08.2015/10.08.2015 के खिलाफ दायर करी गयी है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (इसके बाद ''आईपीसी'' के रूप में संदर्भित) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद ''अधिनियम'' 2012 के रूप में संदर्भित) की धारा 6 सहपठित धारा 42 के तहत दोषी ठहराया गया है। तथा आईपीसी की धारा 376(2) के तहत अपराध के लिए 50,000/– रूपये के जुर्माने के साथ बारह साल की अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में अपीलार्थी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया है। धारा 366 आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध के लिए उसे 10,000 रूपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है तथा जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में अपीलार्थी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया है। दोनो सजायें साथ–साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

2. अभियोजन की कहानी का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की पुनः विश्लेषण से उबरकर आता है, यह है कि, अभियोक्त्री के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने के संबंध में अपनी लिखित सूचना **(Ext. क1)** के माध्यम से पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। उक्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31.08.2013 को प्रातः लगभग 9 बजे जब वादी मुकदमा व उसकी पत्नी घर पर नहीं थे तो उसकी पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष (अभियोक्त्री) घर के पास स्थित हैंडपंप पर पानी लेने गयी थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गयी।

3. उक्त सूचना दिनांक 21.09.2013 को समय 19:15 बजे दर्ज की गयी। दिनांक 29.10.2013 को अभियोक्त्री को अपीलकर्ता की अभिरक्षा से बरामद कर लिया गया और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन यानी 29.10.2013 को अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज किये गये थे। जांच के दौरान, अभियोक्त्री के स्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। जांच पूरी होने के बाद, सब इन्स्पेक्टर भीम भास्कर आर्य (पीडब्ल्यू–8) द्वारा आरोप पत्र **(Ext. क 12)** दायर किया गया था।

4. अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत एक अतिरिक्त आरोप विरचित किया गया था। उसके द्वारा दोषी ना होने का अभिवाक किया तथा विचारण का दावा किया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के 8 गवाहों के बयान दर्ज किये गये।

6. अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठे फंसाये जाने का कथन किया।

7. अपीलकर्ता ने कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

8. विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दोषसिद्ध और सजा के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील की।

10. श्री डी0एन0 शर्मा, विद्वान एमिकस क्यूरी, (न्यायमित्र) द्वारा अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होकर, तर्क दिया कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता और अभियोक्त्री को एक दूसरे से प्यार हो गया तथा दोनों ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। विवाह के समय अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष थी और अभियोक्त्री की आयु 23 वर्ष थी। अभियोक्त्री के पिता और उसके रिश्तेदारों द्वारा उनके विवाह का विरोध किया जा रहा था। अपीलकर्ता और पीड़िता को पीड़िता के पिता और अन्य रिश्तेदारों से खतरा था, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक रिट याचिका (2013 की क्रमांक 52604) दायर की थी जिसमें अपने जीवन की सुरक्षा का दावा किया गया था।

11. विद्वान एमिकस क्यूरी, श्री डी0एन0 शर्मा ने आगे तर्क किया कि अभियोक्त्री की बरामदगी के बाद उसे उपविभागीय मजिस्ट्रेट के आदेश से नारी निकेतन भेजा गया था क्योंकि उसे आशंका थी कि अगर वह अपने माता–पिता के साथ चली गयी तो वे उसे मार डालेंगें। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभिलेखों तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान एक–दूसरे के विरोधाभासी है और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखों पर न्यायालय सबूतों की गलत सराहना की है।

12. इसके विपरीत श्री वी0के0 जैमिनी, विद्वान उपमहाधिवक्ता द्वारा राज्य की ओर से उपस्थित होकर, आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है।

13. हमने रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है।

14. पीडब्ल्यू–1 अभियोक्त्री का पिता और इस मामले की सूचना देने वाले हैं। उसके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 31.08.2013 को सुबह लगभग 9:00 बजे वह अपनी पत्नी के साथ एक होटल में काम करने गया तो उसकी 14 वर्ष की पुत्री (अभियोक्त्री) अपने घर के पास स्थित हैंडपंप पर पानी लेने गयी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गयी। जब उनकी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट **(Ext. क 1)** दर्ज करायी।

15. पीडब्ल्यू–2 अभियोक्त्री है। उसकी मुख्य परीक्षा दिनांक 06.03.2014 को दर्ज की गयी थी। उसके अनुसार दिनांक 31.08.2013 को प्रातः लगभग 8–9 बजे वह हैंडपंप पर पानी लेने गयी, जहां उसकी मुलाकात अपीलार्थी की भाभी से हुई, वह उसे उस स्थान पर ले गयी जहां अपीलकर्ता रह रहा था। वह कमरे में बैठी थी। अपीलकर्ता की भाभी ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। उस रात उसे कमरें में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन की रात में अपीलकर्ता आया तथा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर कार से कहीं और ले गया। उसने 02 सितंबर की सुबह उसके साथ दुष्कर्म किया। 02–03 दिन के बाद वह उसे उसी कार में कहीं और ले गया जहां उसने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। डर के मारे वह चिल्ला नहीं पा रही थी। करीब दो महीने तक वह उसे अलग अलग जगहों पर ले गया था। वह उसे बरेली स्थित अपने घर भी ले गया। उस समय उसके चाचा और चाची उसके घर पर थे, जो जानते थे कि वह उसे लेकर आया है लेकिन उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। एक दिन वह अकेली थी और अपीलकर्ता के चाचा का फोन वहां था जिससे उसने अपने पिता को फोन किया था। दूसरे दिन, उसके पिता पुलिस के साथ अपीलकर्ता के घर आये और वहां से उसे और अपीलकर्ता को रूद्रपुर ले आये। उसने आगे कहा कि उसका बयान पुलिस चौकी में दर्ज किया गया था जिसके बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की गयी और मजिस्ट्रेट द्वारा उसका बयान दर्ज करने के बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। उसने कहा कि अपीलकर्ता के डर के कारण उसने अपने माता–पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया और इस डर से उसने पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया। उसने बताया कि उसने एल0के0जी0 से कक्षा तीन तक की पढ़ाई भारतीय शिक्षा निकेतन, रूद्रपुर में करी है।

16. पीडब्ल्यू–3 हेड कांस्टेबल ह्रदेश परिहार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने वाला है।

17. पीडब्ल्यू–4 डॉ. सोनाली मंडल ने दिनांक 23.10.2013 को अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। उसके मुताबिक, पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध होने के निशान मिले थे। उन्होंने मेडिकल जांच रिपोर्ट **(Ext. क 4)** और सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट **(Ext. क 5)** को साबित किया।

18. पीडब्ल्यू–5 एच0सी0पी0 नंदन सिंह प्रथम जांच अधिकारी थे। उसके अनुसार उसने अभियोक्त्री के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की थी, जिसके अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 02.06.2000 है। जांच के दौरान, उन्हें अभियोक्त्री का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई और लिखा कि उसकी शादी अपीलकर्ता से हुई थी। इस गवाह के अनुसार, उन्होंने अपीलकर्ता को किच्छा बाई पास पर दिनांक 29.10.2013 को अपराह्न लगभग 03:00 बजे गिरफ्तार किया था और उस समय अभियोक्त्री भी अपीलार्थी के साथ थी।

19. पीडब्ल्यू–6 कांस्टेबल विनोद भट्ट ने धारा 363, 366 और 376 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दिनांक 29.10.2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में संशोधन किया था।

20. पीडब्ल्यू–7 धर्मेंद्र गंभीर भारतीय शिक्षा निकेतन, रूद्रपुर के प्रधानाचार्य हैं। अपने बयान के समय, उन्होंने अभियोक्त्री का मूल प्रवेश आवेदन, स्कूल प्रवेश रजिस्टर और अभियोक्त्री के स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित एक पुस्तक प्रस्तुत की थी। इस गवाह के अनुसार, अभियोक्त्री को इस विद्यालय में दिनांक 02.07.2005 को कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया था तथा उसका प्रवेश पत्र उसकी माता द्वारा भरा गया था, जिसके अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 02.06.2000 है।

21. पीडब्ल्यू–8 सबइंस्पेक्टर भीम भास्कर आर्य जांच अधिकारी हैं। उन्होंने अभियोक्त्री का अतिरिक्त बयान दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद, उन्होंने आरोप पत्र **(Ext. क 12)** दायर की थी।

22. जिरह के दौरान, अभियोक्त्री ने कागज संख्या 10क पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है, हालांकि, उसके अनुसार, अपीलकर्ता ने एक सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर जबरन ले लिए थे।

23. वर्तमान मामले में आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल केस नंबर 01/2014 की पत्रावली में कमिटल ऑर्डर पारित किया था। उक्त पत्रावली में 10क कागज उपलब्ध है, उक्त कागज संख्या 10क दिनांक 10.09.2013 को उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पीड़िता द्वारा भेजा गया एक आवेदन है और जिसके अनुसार, उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो, जबकि वह अपीलकर्ता के साथ शादी करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी मर्जी से दिनांक 31.08.2013 को अपीलकर्ता के साथ शादी कर ली और वह खुशी से अपीलकर्ता के साथ रह रही है। इस आवेदन में उसने खुद को बालिग बताते हुए अपनी उम्र 20 साल बताई है।

24. इस स्तर पर, इस तथ्य पर ध्यान देना उचित होगा कि उक्त आवेदन 10क के बाद, अभियोक्त्री ने अपीलकर्ता के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए एक याचिका दायर की।

25. 2013 की रिट–सी संख्या–52604 में, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 25.09.2013 को पाया कि याचिकाकर्ताअपने माता–पिता/रिश्तेदारों से अपने जीवन की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, जो पुलिस की मदद से उनके विवाहित जीवन में व्यवधान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध अपनी मर्जी से शादी की है, तथा यह आदेश पारित किया कि–

''3. कानूनी स्थिति के परिपेक्ष में जो कि **श्रीमती निशा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2013 (6) ADJ 225** में अभिव्यक्त किया गया है, याचिकाकर्ताओं की विवाह योग्य आयु, उनके विवाह की वैधता या विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता, यदि कोई हो, के बारे में कोई राय व्यक्त किए बिना, रिट याचिका का इस स्वतंत्रता के साथ निपटारा किया जाता है कि याचिकाकर्ता संबंधित मजिस्ट्रेट/पुलिस प्राधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें और इनमें से किसी भी प्राधिकारियों को उनके वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों द्वारा व्यवधान के बारे में अवगत कराये और यदि ऐसा किया जाता है, तो पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो या धमकी या यातना और उनके

विवाहित जीवन को परेशान नहीं किया जाये, बशर्ते वे प्रथम दृष्टया विवाह योग्य उम्र के हों और कानून के अनुसार विवाहित हों तथा पूछताछ या जांच के अंतिम परिणाम के सापेक्ष वे उपरोक्त विवाह या एक साथ रहने के संबंध में किसी भी मामले में वांछित या शामिल नहीं हों।

4. इस याचिका को दायर करने या इसके निपटारे के आदेश को याचिकाकर्ताओं के बीच विवाह के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा उनकी प्रास्थिति की घोषणा के अधीन या कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उनकी शादी का पंजीकरण ही होगा।

5. चूंकि याचिका का निस्तारण आरम्भ में ही किया जा रहा है, अतः इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि यह आदेश तथ्यों का दमन करके या तथ्यों को छिपाकर या झूठे दावों पर प्राप्त किया गया है।''

26. अभियोक्त्री ने अपनी जिरह में कहा कि अपीलकर्ता उसे इलाहाबाद न्यायालय नहीं ले गया। उक्त कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने दिनांक 25.09.2013 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चूंकि याचिका का निस्तारण आरम्भ मे हीं किया जा रहा है, इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसके वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि उक्त आदेश तथ्यों को छुपाने या झूठे दावों के आधार पर प्राप्त किया हो, लेकिन ना तो अभियोक्त्री और ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उक्त आदेश दिनांकित 25.09.2013 को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने का कोई प्रयास किया।

27. अभियोक्त्री के अनुसार, वह दिनांक 31.08.2013 से उसके बरामद होने तक अपीलकर्ता के साथ विभिन्न स्थानों पर गई। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोक्त्री को अपीलकर्ता की अभिरक्षा से दिनांक 29.10.2013 को बरामद किया गया था। इन तथ्यों के मद्देनजर, अभियोक्त्री का यह कथन है कि वह अपीलकर्ता के डर के कारण उसके साथ रहने लिए विवश थी, और अपीलकर्ता ने एक सादे कागज पर जबरन उसके हस्ताक्षर करवा लिए थे, भी विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उसने कभी कोई संत्रास नहीं दी थी, ना ही उसने कोई प्रतिरोध किया, उसने कभी पड़ोसियों को सूचित करने की कोशिश नहीं की ना ही अपने इस आचरण को दिखाने के लिए भागने की कोशिश नहीं की कि वह अपीलकर्ता के साथ जाने या रहने के लिए कभी तैयार या

राजी नहीं थी। इन तथ्यों के अलावा, जांच अधिकारी, सब–इंस्पेक्टर भीम भास्कर आर्य (पीडब्ल्यू–8) ने अभियोक्त्री का बयान दर्ज किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह बालिग है और उसने अपीलकर्ता से अपनी मर्जी से बरेली में शादी करी है। इन परिस्थितियों में अभियोक्त्री का आचरण दर्शाता है कि वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी।

28. अब केवल यह निर्धारित किया जाना है कि अधिनियम 2012 की धारा 2 (1) (डी) के तहत बालक की परिभाषा के अनुसार अभियोक्त्री घटना के समय ''बालक'' थी या नहीं। यदि साक्ष्यों से यह पाया जाता है कि घटना के समय पीड़िता एक ''बालक'' थी, तो उसकी सहमति महत्वहीन थी क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है।

29. अधिनियम 2012 की धारा 2 (1) (डी) ''बालक'' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

30. **जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263** में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि नियम 12 केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू है, हमारे मत में उपरोक्त वैधानिक प्रावधान अपराध के शिकार बच्चे के लिए भी उम्र निर्धारित करने का आधार होना चाहिए।''

31. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 का नियम 12, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 68 (1) के तहत बनाया गया है, जो उम्र के निर्धारण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। नियम 12 निम्नानुसार हैः–

''12. आयु के अवधारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया–

(1) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित हर मामले में, न्यायालय या बोर्ड या नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति, जैसा भी मामला हो, आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र निर्धारित करेंगे।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति जैसा भी मामला हो, किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर, जैसा भी मामला हो, के किशोर होने या

अन्यथा को प्रथम दृष्टया शारीरिक रूप अथवा दस्तावेज यदि उपलब्ध हों, के आधार पर तय करेगा और उसे ऑब्जर्वेशन होम या जेल भेज देगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित हर मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, के द्वारा साक्ष्यों को प्राप्त करके आयोजित की जायेगी।

(क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में,

(ii) स्कूल से जन्म की तिथि का प्रमाण पत्र (प्ले स्कूल के अलावा) जिसमें पहली बार भाग लिया हो; और जिसके अभाव में,

(iii) निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्मप्रमाण पत्र,

(ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जायेगी, जो किशोर या बालक की उम्र की घोषणा करेगी। यदि आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो न्यायबोर्ड या बोर्ड या समिति जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे, तो बालक या किशोर को एक वर्ष के मार्जिन के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए लाभ दे सकते हैं तथा ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय ऐसे सबूतों पर विचार करने के बाद, जो उपलब्ध हो सकते हैं, या चिकित्सा राय, जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करें और खंड (ए) (i), (ii), (iii) या उसकी अनुपस्थिति में, खंड (बी) में वर्णित साक्ष्य ऐसे बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि उप–नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण पत्र के आधार पर, अपराध की तिथि पर किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से कम पायी जाती है, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति जैसा भी मामला हो, अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयु और किशोर अवस्था की घोषणा या अन्यथा बताते हुए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।

(5) अधिनियम की धारा 7ए, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में अन्य बातों के साथ–साथ, आगे की पूछताछ या अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, को छोड़कर, न्यायालय या बोर्ड द्वारा जांच करने और इस नियम के उप–नियम (3) में

निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने के बाद कोई और पूछताछ नहीं की जायेगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाये गये मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोर अवस्था की स्थिति उप–नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गयी है, जिसके तहत विधि के उल्लंघन में किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए उचित आदेश की आवश्यकता हो।''

32. **पराग भाटी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (2016) 12 एससीसी 744** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि ''यह कानून की स्थापित स्थिति है कि यदि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री नहीं है तो जन्मतिथि की सत्यता साबित करने के लिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को अभियुक्त की जन्मतिथि के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, अगर कोई संदेह हो या आरोपी द्वारा एक विरोधाभासी रूख लिया जा रहा है जो जन्म तिथि की शुद्धता पर संदेह पैदा करता है तो इस न्यायालय द्वारा **अबुजर हुसैन (2012) 10 एससीसी 489, (2013) 1 एससीसी (कि) 83** में निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए एक जांच की अनुमति है जो वर्तमान मामले में की गई है।''

33. **अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि ''कौन सी सामग्री प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक बोझ के निर्वहन के लिए पर्याप्त है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ना ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्ष्य के एक विशिष्ट टुकड़े को कितना वजन दिया जाना चाहिए जो किशोरता की धारणा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता है लेकिन नियम 12 (3) (ए) (i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से नियम 12 के तहत आगे की जांच आवश्यकता वाले अपराधी की उम्र के बारे में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।....''

34. अतः यह सुस्थापित है कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता, नियम 12 (3)

(क) (i) से (iii) के संदर्भ में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

35. अभियोक्त्री को पहली बार 02.07.2005 में पहली कक्षा में भारतीय शिक्षा निकेतन में भर्ती कराया गया था। उस समय अभियोक्त्री की जन्मतिथि 02.06.2000 दर्ज थी। हालांकि, भारतीय शिक्षा निकेतन द्वारा जारी ''प्रवेश प्रपत्र'' **(Ext. क 9)** में दर्ज जन्मतिथि दिनांक 02.07.2001 की प्रामाणिकता के संबंध में एक गंभीर विवाद है।

36. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोक्त्री ने अपने आवेदन 10क दिनांक 10.09.2013 में खुद को वयस्क बताते हुए अपनी उम्र 20 वर्ष बतायी थी। इसके बाद, उसने अपीलकर्ता के साथ खुद को वयस्क दिखाकर सुरक्षा आदेश मांगा था। अभियोजन पक्ष के गवाह एच0सी0पी0 नंदन सिंह (पीडब्ल्यू–5), प्रथम जांच अधिकारी, ने अपनी जिरह में कहा कि उसने अभियोक्त्री का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने अपनी उम्र का खुलासा उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 10क को समर्थित करते हुए 20 वर्ष बताया गया था। वर्तमान मामले की जांच एच0सी0पी0 नंदन सिंह (पीडब्ल्यू–5) से सब–इंस्पेक्टर भीम भास्कर आर्य (पीडब्ल्यू–8) को अंतरित करी गयी।

37. भीम भास्कर आर्य (पीडब्ल्यू–8) ने अपनी जिरह में कहा कि उसने दिनांक 30.10. 2013 को अभियोक्त्री का अतिरिक्त बयान दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि वह वयस्क थी। उन्होंने आगे कहा कि अभियोक्त्री ने यह भी बयान दिया कि उसके माता–पिता के द्वारा स्कूल में उसकी उम्र को अवप्राक्कलंन किया गया होगा।

38. अभियोक्त्री की उम्र साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू–7 के साक्ष्य और अभियोक्त्री के पिता के बयानों पर बल दिया गया है।

39. अभियोजन पक्ष के गवाह धर्मेन्द्र गंभीर (पीडब्ल्यू–7), भारतीय शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य के अनुसार, ''प्रवेश फॉर्म'' **(Ext. क 9)** अभियोक्त्री की मां द्वारा भरा गया था, लेकिन, अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की मां को साक्ष्य के रूप में परीक्षित नहीं कराया है ना ही उसका परीक्षण कराने के संबध में कोई स्पष्टीकरण दिया है। ''एडमिशन फॉर्म'' **(Ext. क 9)** पर अभियोक्त्री की मां के तथाकथित अंगूठे का निशान साबित नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रवेश पत्र में अंकित अभियोक्त्री की जन्मतिथि बिना किसी आधार के दर्ज की गयी पायी जाती है, अतः केवल इस प्रवेश पत्र पर विश्वास कर अभियोक्त्री की जन्मतिथि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

40. अभियोक्त्री के पिता द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घ ाटना के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष थी, जबकि, न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में उसने अभियोक्त्री की जन्म की कोई सटीक तारीख दिए बिना अभियोक्त्री की घटना के समय आयु 14 वर्ष होने का कथन किया है। लेकिन, यह बयान बिना किसी रिकॉर्ड या किसी आधार के दिया गया है। अभियोक्त्री (पीडब्ल्यू–2) के अनुसार दिनांक 06.03.2014 को दर्ज की गयी उसकी मुख्य परीक्षा के समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी, लेकिन, उसने अपनी जन्मतिथि या जन्म के वर्ष के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए, यह साक्ष्य अभियोक्त्री की उम्र के संदर्भ में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं देते हैं।

41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि घटना के समय पीड़िता एक ''बालक'' थी।

42. **भगवान सिंह और अन्य बनाम एमपी राज्य, (2002) 4 एससीसी 85** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि आपराधिक मामले में न्याय प्रशासन का सिद्धांत यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव है, एक जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है तो अभियुक्त के अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

43. यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सकारात्मक सबूत नहीं दिया है कि घटना के समय अभियोक्त्री ''बालक'' थी, और, अभियोक्त्री द्वारा दिये गये बयानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर भी यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के बयानों में अंतर्निहित दुर्बलताएं और भौतिक विरोधाभास भी हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामला में कुल मिलाकर परिस्थितियों से अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर संदेह उप्तन्न होता है।

44. नतीजतन, हम अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 07.08.2015/10.08.2015 को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो, उधम सिंह नगर विशेष सत्र परीक्षण संख्या 08 सन् 2014, ''राज्य बनाम सूरज'' में पारित आक्षेपित दोषसिद्ध व सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को धारा 363, 366 व 376 (2) आईपीसी और अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

45. अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में है। अपीलकर्ता की यदि किसी अन्य मामले में अन्यथा आवश्यकता ना हो तो उसे जेल से रिहा किया जाये।

46. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

47. अपीलकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437–ए का अनुपालन इस फैसले की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर व विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानती निष्पादित करें, जो कि छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

48. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक और संबंधित विचारण न्यायालय को सूचना और अनुपालन के लिए उपलब्ध कराये।

...माननीय न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र मैठानी

...माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

दिनांकितः– 13 जुलाई, 2022